

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 61/2025

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

श्रीराम वल्द रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेहरो का तला तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।	1. गोरखाराम पुत्र बुधाराम 2. चेतनराम पुत्र बुधाराम 3. प्यारीदेवी पत्नि बुधाराम 4. हरचन्द्रराम पुत्र लच्छाराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी, बालोतरा। 5. तहसीलदार सिणधरी
--	---

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 05 पैरोकार उपस्थित, शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 03.09.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा- सिणधरी चौसीरा पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 99 रकबा 2.9690 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 22.08.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा सिणधरी चौसीरा पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 99 रकबा 2.9690 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर  
SDO सिणधरी



क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	श्रीराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेहरो का तला तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर खातेदार।	सिणधरी चौसीरा	99	0.9561	बा.दो.	0.08	हरा
2.	गोरखाराम हि. 1/3 चेतनराम हि. 1/3 पि. बुधाराम प्यारी देवी पत्नि बुधाराम हि. 1/3 जाति कुम्हार सा. चाडो की ढाणी खातेदार।	सिणधरी चौसीरा	99	0.9561	बा.दो	0.08	लाल
3.	हरचन्द्रराम पुत्र लच्छाराम जाति कुम्हार सा. चाडो की ढाणी खातेदार।	सिणधरी चौसीरा	99	0.9561	बा.दो	0.08	बैंगनी
4.	रास्ता हेतु भूमि	सिणधरी चौसीरा	99	0.1007	बा.दो	0.00	पीला

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.)सिणधरी